न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी : जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 13/2025 जीसीएमएस केस नम्बर 2025/

उनवान

श्री भोपाल सिंह पिता गोर्धन सिंह राजपूत निवासी भोपा की कमेरी, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमति धर्म कवंर पुत्री देवी सिंह राजपुत निवासी भोपा की कमेरी, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा।
2. श्री नरपत सिंह पुत्र देवी सिंह राजपुत निवासी भोपा की कमेरी, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा।
3. श्री भगवान सिंह पुत्र देवी सिंह राजपुत निवासी भोपा की कमेरी, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा।
4. श्रीमति विष्णु कंवर पुत्री देवी सिंह राजपुत निवासी भोपा की कमेरी, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 बाबत् प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में हस्तांतरित करने हेतु

—: आदेश :—

दिनांक :12/08/2025

1— पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर करेडा, जिला भीलवाडा के यहां एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थी एवं अन्य व्यक्तियो के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया, जिसके प्रकरण संख्या 177/2023 होकर आगामी तारीख 20.07.2025 नियत है।

2— उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जिस प्रकार का आचरण, व्यवहार एवं प्रक्रिया रही है, वह अब्बल तो किसी कदर विधिवत् एवं नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तो के अनुकुल नहीं ठहरायी जा सकती है अर्थात् निष्पक्ष नहीं कही जा सकती है, क्योकि अधीनस्थ न्यायालय ने विपक्षीगण की अर्थात् मौजूदा प्रार्थी एवं अन्य व्यक्तियो की विधिवत् तामिल हुऐ बिना ही मौका निरीक्षण रिपोर्ट मंगवाये जाने का आदेश पारित कर दिया, जबकि हमेशा मौका निरीक्षण रिपोर्ट दोनो पक्षो को सुनकर मंगवाये जाने का ही प्रावधान है, साथ ही दोनो पक्षो की उपस्थिति में ही मौका निरीक्षण कर वैकल्पिक रास्ते एवं अन्य बिन्दुओ बाबत् रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक परिपेक्ष्य को जानबुझकर नजर अन्दाज कर प्रकरण हाजा में बिना विपक्षीगण की तामिल हुऐ ही अर्थात् प्रकरण तामिल में ही लम्बित होते हुऐ मौका निरीक्षण रिपोर्ट मंगवा ली, जबकि अधीनस्थ न्यायालय की सम्पूर्ण पत्रावली की आदेशिका का प्रथम दृष्टया अवलोकन करने पर कोई किसी प्रकार का आदेश मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट मंगवाये जाने बाबत तहसीलदार को आज दिन तक नहीं दिया गया है, तो फिर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में किस प्रकार एवं कैसे दिनांक 14.05.2025 को ही भू—अभिलेख निरीक्षक एवं पटवार हल्का द्वारा मौका निरीक्षण कर तथाकथित तैयार रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न की गयी है, यह बडा ही विचित्र लगता है, जब सक्षम न्यायालय ही इस प्रकार की अनियमितता, अवैधानिकता करेगे तो फिर सामान्य कार्यालय से क्या अपेक्षा की जा सकती है, ऐसी हालत में जो सम्पूर्ण कार्यवाही अभी तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी है, उसमें अधीनस्थ न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा मौजूदा विपक्षीगण जो कि मूल प्रार्थना पत्र में अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण है, से अदृश्य, अनैतिक लाभ अर्जित करने की बू बाती है तथा प्रार्थी को

जसमीत सिंह संधू
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

यह पूर्णतयाः अन्देशा हो गया है, कि प्रकरण में उसे सही एवं वास्तविक न्याय अधीनस्थ न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी से प्राप्त नहीं होगा, ऐसी हालत में न्यायहित में नैतिक एवं नैसर्गिक दृष्टि से प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय से अन्य सक्षम न्यायालय में विचारण हेतु हस्तान्तरित किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है, ताकि न्यायालय एवं न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा बनी रह सके।

3– अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.10.2024 को मौजूदा प्रार्थी एवं अन्य विपक्षीगण ने अपने अधिवक्ता के मार्फत उपस्थिति दी है, तथा जवाब हेतु अवसर चाहा किन्तु दिनांक 15.10.2024 से न्यायिक कार्य का बहिष्कार होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 19.11.2024 नियत की गयी, दिनांक 19.11.2024 से दिनांक 13.05.2025 तक प्रकरण में मात्र अधीनस्थ न्यायालय की मोहर लगकर पेशीयां ही परिवर्तित की जाती रही है, अर्थात् कोई किसी प्रकार की प्रभावी कार्यवाही प्रकरण में नहीं हुई है, इतना ही नहीं अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी द्वारा उपस्थिति देने के उपरान्त भी उसका कोई इन्द्रांज आज दिन तक किसी भी आदेशिका में स्पष्टतयाः नहीं आया है, जो अधीनस्थ न्यायालय की घोर लापरवाही एवं अनियमितता को ही स्वतः उजागर कर देता है। वैसे भी इन सभी आदेशिका में अधिकांशतयाः पीठासीन अधिकारी के राजकीय कार्य से बाहर अवकाश पर व पद रिक्त के ही इन्द्रांज है तो फिर कोई किसी प्रकार का आदेश मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आज दिन तक पारित नहीं किया है, तो फिर कैसे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तहसीलदार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट दिनांक 27.05.2025 संलग्न कर दी गयी, तथा किस प्रकार एवं कैसे तहसीलदार करेडा द्वारा आदेश कमांक 2025/254 दिनांक 04.03.2025 की पालना में मौका निरीक्षण किया गया। उक्त तथाकथित रिपोर्ट का अपनेतही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बिना किसी आदेश के संलग्न किया जाना अधीनस्थ न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी की मिलाभगती एवं अनैतिकता को ही परिभाषित कर देता है, ऐसी हालत में जिस प्रकार की कार्यशैली, आचरण एवं प्रक्रिया अधीनस्थ न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी की रही है, उसे किसी कदर निष्पक्ष एवं न्याय के साम्य सिद्धान्त की परिधि में सही नहीं ठहराया जा सकता है, जब एक राजपत्रित सक्षम अधिकारी ही जिसे न्याय का देवता ग्रामीण परिपेक्ष्य में समझा जाता है, के द्वारा ही इस प्रकार का दुराचरण एवं मिलाभगती से न्यायिक कार्य करेगे तो फिर न्यायालय के प्रति जो सम्मान, आदर, विश्वास एवं गरिमा सामान्य जन मानुष में बनी हुई है, उसे जो ठेस पहुंचेगी, उसकी क्षतिपूर्ति का कोई मापदण्ड नहीं हो सकेगा और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां की सामान्य जनता न्याय प्रणाली पर ही पूर्णतयाः विश्वास, भरोसा करती है, वह ही धराशायी हो जायेगा, उपरोक्त सम्पूर्ण परिपेक्ष्य को देखते हुऐ अधीनस्थ न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी की सक्षम अधिकारी से उनकी कार्यशैली एवं निष्पक्षता की जांच कराये जाने के साथ–साथ प्रकरण को सक्षम न्यायालय में हस्तान्तरित करना ही न्यायोचित एवं न्यायसंगत होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी करेडा में लम्बित प्रकरण संख्या 177/2023 राजस्व प्रार्थना पत्र को निस्तारण हेतु अन्य सक्षम न्यायालय में हस्तान्तरित किये जाने का आदेश फरमाया जावे तथा हर्जा खर्चा प्रार्थी को विपक्षीगण से दिलाया जावे।

5– प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थनापत्र/जवाब/टिप्पणी में वर्णित कथनों को बहस में दोहराते हुए अपनी बहस पूर्ण की। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन एवं मनन किया गया। प्रकरण में न्यायालय का विवचेन इस प्रकार है कि –

प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेडा के न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में अपने प्रार्थनापत्र एवं बहस में जो कथन उल्लेखित किये है, तथा जो आशंकाए अभिव्यक्ति की गई है। चूंकि मौजूदा प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा द्वारा उक्त प्रकरण में विचारण के सम्बंध में जो कार्यवाही एवं प्रक्रिया जारी है, वह विधि सम्मत होकर उसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात एवं एकपक्षीय झुकाव के तथ्य न्यायालय के संज्ञान में नहीं आये है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र सारहीन, तथ्यहीन होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं ठहरता है। अतएंव –

जसमीत सिंह संधू
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा